रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062021-227976 CG-DL-E-29062021-227976

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] No. 357] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 29, 2021/आषाढ़ 8, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 29, 2021/ASHADHA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

संख्या 36/2021-सीमाश्ल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 445(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील या इंडोनेशिया (एतिश्मन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "इस्पात के मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद" (एतिश्मन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 7208, 7211, 7222, 7226 के अंतर्गत आती है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मई, 2017, जिसे सा.का.िन. 455 (अ), दिनांक 11 मई, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति

3588 GI/2021 (1)

निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतिशमन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/5/2021-डीजीटीआर, दिनांक 31 मार्च, 2021, जिसे दिनांक 31 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।, खंड। में प्रकाशित किया गया था के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मई, 2017, जिसे सा.का.नि. 455 (अ), दिनांक 11 मई, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:—

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।"।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/58/2021–टीओ-(टीआरयू-I)-सीबीईसी] राजीव रंजन अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 मई, 2017 को सा.का.नि. 455 (अ), दिनांक 11 मई, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2021

No. 36/2021-Customs (ADD)

G.S.R.445(E).— Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/5/2021-DGTR, dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 31st March, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Hot-rolled flat products of alloy or non-alloy steel' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Chapter headings 7208, 7211, 7225 or 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia, Brazil or Indonesia (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the

Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 17/2017-Customs (ADD), dated 11th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 455 (E), dated the 11th May, 2017 and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 17/2017-Customs (ADD), dated 11th May, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 455 (E), dated the 11th May, 2017, namely:—

In the said notification, after paragraph 2, and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: —

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 15th December, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier."

[F. No. CBIC-190354/58/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 17/2017-Customs (ADD), dated 11th May, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 455 (E), dated the 11th May, 2017.